न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 56 / 2021

सारिन्धा पत्नी श्री शिवराम जाति जाटव निवासी ग्राम फोंदे का पुरा सरानीखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी मुख्य ग्राम नगरिया जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ....वादीया

बनाम

1. गौरादेवी पत्नी नारायण सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील व जिला धौलपुर राज0
2. जगदीशप्रसाद पुत्र खचेरा राम जाति धोबी निवासी जगदीश टॉकीज के सामने बाड़ी रोड़ धौलपुर राज0
3. विद्यादेवी पत्नी रामजीत सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम नगला भगत तहसील व जिला धौलपुर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ....प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, बंटवारा काश्त अधीन धारा 188, 53।

निर्णय दिनांक 24.12.2024

वादीया ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 07.12.2021 को एक राजस्व वाद बाबत् न्यायालय में पेश किया। जो दिनांक 23.08.2024 को बाद तहकीकात दावा प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 705 दिनांक 16.10.2024 से अवगत कराया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1370 / 354 पर अकृषि कार्य प्लॉटिंग हो रही है। जिसकी धरा 90ए के तहत प्रकरण तैयार कर तहसील कार्यालय धौलपुर में जमा करा दिया गया है, जिस पर न्यायालय तहसीलदार धौलपुर ने दिनांक 06.09.2024 को निर्णय किया है, कि आराजी खसरा नम्बर 1370 / 354 के लिए धारा 177 आरटीए के तहत प्रकरण तैयार कराया जावे। जिसकी पालना में धारा 177 आरटीए का प्रकरण तैयार कर तहसील धौलपुर कार्यालय में भिजवाया जा चुका है। विवादित आराजी पर अकृषि कार्य होने के कारण विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील वादी ने कथन किया कि, तहसीलदार धौलपुर द्वारा न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है, वादीया केवल अपने हिस्से पर बंटवारा कराना चाहती है। यदि मौके प्रतिवादीगण प्लॉटिंग कर रहे हो तो वादीया के हितो पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वादीया के हिस्से का बंटवारा किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि विवादित आराजी पर कोई प्लाटिंग नहीं हो रही है। तहसीलदार धौलपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया। तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1370 / 354 बाकै ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर पर वर्तमान में प्लॉटिंग हो रही है। तहसीलदार धौलपुर ने उक्त आराजी के संबंध में धारा 177 का प्रकरण तैयार

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

किये जाने के आदेश दिये है। चूंकि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1370/354 बाकै ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर मौके पर काश्त भूमि रही ही नहीं है। विवादित आराजी का उपयोग अब काश्त के लिए नहीं किया जा रहा है। बल्कि मौके पर आबादी भूमि के रूप में उपयोग में ली जा रही है। विवादित आराजी का किस्म मौके पर बदल चुकी है। चूंकि विवादित आराजी काश्त योग्य नहीं रही है एंव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत बंटवारा किया जाना संभव नहीं है। इसलिए दावा वादीगण खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः आदेश है, कि दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) धौलपुर (राज0)

डिकी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर
व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या : 56 / 2021

सारिन्धा पत्नी श्री शिवराम जाति जाटव निवासी ग्राम फोंदे का पुरा सरानीखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी मुख्य ग्राम नगरिया जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

..........................वादीया

बनाम

1. गौरादेवी पत्नी नारायण सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील व जिला धौलपुर राज0
2. जगदीशप्रसाद पुत्र खचेरा राम जाति धोबी निवासी जगदीश टॉकीज के सामने बाड़ी रोड़ धौलपुर राज0
3. विद्यादेवी पत्नी रामजीत सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम नगला भगत तहसील व जिला धौलपुर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ....प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, बंटवारा काश्त अधीन धारा 188, 53।

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री राजेन्द्रसिंह राना एडवोकेट मिनजानिव मुद्दई एवं श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट मिनजानिव मुद्यालह ने पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से निर्णय दिनांक 24.12.2024 के संदर्भ में आज दिनांक 24.12.2024 को जारी की गई।

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर (राज0)